

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 27(1)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक ०८.०२.२५

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।  
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।  
समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।  
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डल/आयोग, राजस्थान।

विषय:—राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 व 2022 में यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट नियमों का कड़ाई से पालना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप सचिव, गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 15/1/2024—पब्लिक, दिनांक 18.01.2024 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 व 2022 में यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित किये जाने का श्रम करावें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. हर सहाय मीणा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. उप सचिव, गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग को उनके पत्र क्रमांक प.9(9)गृह-5/2019 दिनांक 30.01.2024 के क्रम में।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
5525849

Document certified by HAR SAHAY  
MEENA <jsgad@rajasthan.gov.in>.  
Digitally Signed by Dr. Har  
Sahay Meena  
Designation: Joint Secretary  
Date :08-02-2024 10:17:23

H-20 Tower

1955424/180

E-309, 5350/P45/27

18/1/24

24 Jan 24

IMMEDIATE

File No. 15/1/2024-Public  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(Public Section)  
\*\*\*

(Signature)

North Block, New Delhi - 01.

Dated: 18 January, 2024

(Sudhanu Pant)  
Chief Secretary

गृह (गुप-5) विभाग  
रासन सचिवालय, जयपुर  
मांक 708  
नांक 29/01/24 Ta...

The Chief Secretaries/ Administrators of  
All State Governments / UT Administrations,  
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

**Subject: Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022] and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971-reg.**

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. Copy of 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022]' which governs the use/hoisting/display of National Flag, are available on this Ministry's website [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in). Salient features of the Flag Code of India, 2002 are enclosed.

2. As per clause (x) of Paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India, the National Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags used by the public, made of paper are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag.

3. You are also requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Signature)  
18/1/2024

(Pandey Pradeep Kumar)  
Deputy Secretary to the Government of India  
Tel: 2309 3101

(S)  
2  
5/1/24  
(S)  
25/01/24

2/-

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.

-2-

- g) The Flag should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags.
- h) The Flag should not be flown on any vehicle except of the dignitaries mentioned in Section IX of Part III of the Flag Code, such as President, Vice-President, Prime-Minister, Governors etc.
- i) No other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag.

**Note:-** For further details, the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002 are available on Ministry of Home Affairs' website [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in).

संख्या 15/1/2024/पब्लिक  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(पब्लिक अनुभाग)  
\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 1  
दिनांक 18 जनवरी, 2024

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/  
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,  
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [ 2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर भी उपलब्ध है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा-निर्देश संलग्न है।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडों को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में बृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से बृहद प्रचार किया जाए।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,  
पाण्डेय प्रदीप कुमार  
18/1/2024  
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)  
उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 23093101

प्रति प्रेषित:-

(6)

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

पाण्डेय प्रदीप कुमार  
18/1/2024.

(पाण्डेय प्रदीप कुमार)  
उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 23093101

## भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।
2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपड़े से बनाया गया हो।

(ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये।

(ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-

(xi) "जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"

(घ) राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।

(ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

(च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।

(छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

-2-

- (ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लिखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।
- (झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।